

पत्र सं०-6 एस०एस० (6) 42/2014-4095/

**बिहार सरकार**  
**पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग**

**शुद्धि पत्र**


विभागीय राज्यादेश संख्या-3004 दिनांक-12.09.2017 की कंडिका-5(B) (VII)(क), (ग) एवं (घ) को निम्न प्रकार पढ़ा जाय :-

- (क) योजना का कार्यान्वयन जिला स्तर पर किया जायेगा तथा योजना का प्रचार-प्रसार कर पारदर्शी तरीके से जिला स्तर पर आवेदन प्राप्त किया जायेगा।
- (ग) जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग अग्रणी बैंक पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति की उपस्थिति में करेंगे, जिनके सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

- (i) जिला पशुपालन पदाधिकारी - सदस्य-संयोजक
- (ii) जिला मत्स्य पदाधिकारी - सदस्य
- (iii) उद्योग विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी - सदस्य

(घ) संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में चयन समिति गठित कर स्क्रीनिंग समिति द्वारा चयनित आवेदकों के अनुदान की स्वीकृति के संबंध में आवेदक की उपस्थिति में निर्णय लिया जायेगा। तत्पश्चात बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले आवेदन को बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया जायेगा। स्वलागत से बकरी इकाई की स्थापना किये जाने की स्थिति में नियमानुसार जाँचोपरान्त अनुदान की राशि जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा आवेदक के खाते में उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए जिलावार स्वीकृत अनुदान की राशि निदेशक, पशुपालन द्वारा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। शेष यथावत् रहेंगे।


2. जिलावार लक्ष्य की विवरणी संलग्न।
3. इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय।
4. प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

  
(मधुरानी ठाकुर)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)42/2014-4095 /पटना-15, दिनांक- 21/12/2017.

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)42/2014-4095 /पटना-15, दिनांक- 21 /12/2017.  
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग,  
बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)42/2014-4095 /पटना-15, दिनांक- 21 /12/2017.  
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार (विकास भवन) पटना/सभी  
जिला कोषागार को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)42/2014-4095 /पटना-15, दिनांक- 21 /12/2017.  
प्रतिलिपि :- निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, जीविका, पटना/  
सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)42/2014-4095 /पटना-15, दिनांक- 21 /12/2017.  
प्रतिलिपि :- पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/ योजना शाखा/ लेखा शाखा को  
सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)42/2014-4095 /पटना-15, दिनांक- 21 /12/2017.  
प्रतिलिपि :- महालेखा परीक्षा नियंत्रक, महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)42/2014-4095 /पटना-15, दिनांक- 21 /12/2017.  
प्रतिलिपि :- विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक  
को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)42/2014-4095 /पटना-15, दिनांक- 21 /12/2017.  
प्रतिलिपि :- विभागीय सचिव के आप्त सचिव/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त  
सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)42/2014-4095 /पटना-15, दिनांक- 21 /12/2017.  
प्रतिलिपि :- विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु  
सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव



वर्ष 2017-18 में "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत निजी क्षेत्रों में Goat Farm की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान हेतु जिला-वार लक्ष्य की विवरणी :-

क्र० सं०	जिला का नाम	सामान्य घटक				अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक			
		20 + 1 क्षमता		40 + 2 क्षमता		20 + 1 क्षमता		40 + 2 क्षमता	
		भौतिक लक्ष्य	अनुदान की राशि (रुपये लाख में)	भौतिक लक्ष्य	अनुदान की राशि (रुपये लाख में)	भौतिक लक्ष्य	अनुदान की राशि (रुपये लाख में)	भौतिक लक्ष्य	अनुदान की राशि (रुपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पटना	12	12.00	6	12.00	3	3.00	1	2.00
2	नालन्दा	12	12.00	6	12.00	2	2.00	1	2.00
3	भोजपुर	10	10.00	5	10.00	2	2.00	1	2.00
4	रोहतास	8	8.00	4	8.00	2	1.00	1	2.00
5	बक्सर	5	5.00	2	4.00	1	1.00	0	0.00
6	कैमूर	5	5.00	2	4.00	1	3.00	0	0.00
7	गया	12	12.00	6	12.00	3	1.00	1	2.00
8	जहानाबाद	4	4.00	2	4.00	1	1.00	0	0.00
9	नवादा	6	6.00	3	6.00	2	1.00	1	2.00
10	औरंगाबाद	8	8.00	4	8.00	2	2.00	1	2.00
11	अरवल	4	4.00	2	4.00	1	2.00	0	0.00
12	भागलपुर	10	10.00	5	10.00	1	2.00	0	0.00
13	बाँका	6	6.00	3	6.00	1	2.00	0	0.00
14	मुंगेर	4	4.00	2	4.00	1	2.00	0	0.00
15	लखीसराय	4	4.00	2	4.00	1	1.00	0	0.00
16	जमुई	5	5.00	2	4.00	1	1.00	0	0.00
17	खिखपुरा	4	4.00	2	4.00	1	2.00	0	0.00
18	खगड़िया	12	12.00	6	12.00	2	2.00	1	2.00
19	मुजफ्फरपुर	12	12.00	6	12.00	2	2.00	1	2.00
20	हाजीपुर (वैशाख)	12	12.00	6	12.00	2	1.00	1	2.00
21	मोतिहारी	12	12.00	6	12.00	2	1.00	1	2.00
22	सीतामढ़ी	8	8.00	4	8.00	2	2.00	0	0.00
23	शिवहर	4	4.00	2	4.00	1	1.00	0	0.00
24	बेतिया	11	11.00	5	10.00	2	1.00	1	2.00
25	दरभंगा	10	10.00	5	10.00	2	2.00	1	2.00
26	मधुबनी	11	11.00	5	10.00	2	1.00	0	0.00
27	समस्तीपुर	10	10.00	5	10.00	2	2.00	1	2.00
28	बेगुसराय	9	9.00	4	8.00	2	2.00	0	0.00
29	पूरुषोत्तम	10	10.00	5	10.00	2	1.00	0	0.00
30	कटिहार	9	9.00	4	8.00	1	2.00	0	0.00
31	अररिया	8	8.00	4	8.00	1	1.00	0	0.00
32	किशनगंज	5	5.00	2	4.00	1	2.00	0	0.00
33	सहरसा	6	6.00	3	6.00	1	2.00	0	0.00
34	मधेपुरा	6	6.00	3	6.00	1	1.00	0	0.00
35	सुपौल	7	7.00	3	6.00	1	1.00	0	0.00
36	छपरा	10	10.00	5	10.00	2	2.00	0	0.00
37	सीवान	10	10.00	5	10.00	2	1.00	0	0.00
38	गोपालगंज	8	8.00	4	8.00	1	1.00	0	0.00
कुलयोग:-		309	309.00	150	300.00	60	60.00	14	28.00

4095  
21/12/17

सरकार के अपर सचिव